न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 08/2011 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2011/00037)

श्यामलाल पुत्र श्री भंवरी जाति जाटव निवासी पिचूना उप तहसील उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 2.8.2010 व सिलसिले आज्ञा नायब तहसीलदार उच्चैन दिनांक 7.12.2007 नामा0 संख्या 1644 दिनाक 15.10.2001 वाकै ग्राम नगला तोता, पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 13.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष एक अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार उच्चैन दिनांक 07.12.2007 प्रस्तुत की गई। उक्त आदेश में नामान्तरकरण संख्या 1644 दिनांक 15.10.2001 मि0नं0 1/07 आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 1 विस्वा वाकै ग्राम नगला तोता, पिचूना तहसील रूपवास के बाबत निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 31.01.2006 की रोशनी में रिमाण्ड किये जाने पर परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन अपने निर्णय दिनांक 07.12.2007 द्वारा पूर्व पारित निर्णय को यथावत रखा गया है। तदोपरान्त नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा रिमाण्ड प्रकरण पर पारित आज्ञा दिनांक 07.12.2007 के विरूद्ध तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष

13.9.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील पेश की गई। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2010 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 07.12.2007 में कोई अनियमितता नही होने के कारण यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 157/0.01 स्थित ग्राम नगला तोता पिचूना तहसील रूपवास का अपीलान्ट के लिये दिनांक 30.01.73 को विधिवत रूप से कूए के लिये आवंटन किया गया है। तहसीलदार रूपवास ने इस आवंटन के संबंध में सनद पट्टा जारी किया है जो आज तक कायम है। अधीनस्थ न्यायालय व अपीलीय न्यायालय ने उक्त आवंटन के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने से इन्कार करने व खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता, स्कूल व सरकारी कूऐ की भूमि है इसलिए आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है कतई गलत है। प्रथम तो उक्त आधार आवंटन निरस्त कराने के लिये नहीं हो सकते है द्वितीय यह आवंटन से पूर्व ही तय किया जा चुका है। कोई भी आवंटन उसी भूमि का किया जाता है जो आवंटन योग्य है तथा उक्त आपत्तियां पूर्व में निरस्त हो चुकी है। इसलिए नामान्तरकरण की कार्यवाही में उक्त आपत्तियां सुनने व तय किये जाने योग्य नहीं है। इसलिए आदेश तहत हर दो अदालत कतई गलत है काबिले निरस्तनीय है। विवादित भूमि का कूऐ के लिये ही आवंटन किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा कुऐ का निर्माण भी कर लिया गया है। उक्त आवंटन आदेश आज दिनांक तक बदस्तूर कायम है। वैसे भी 10 वर्ष की अवधि के बाद उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार भी स्वतः ही प्राप्त हो चुके है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने की कोई समयावधि नहीं है तथा राजस्व अधिकारी की भी ड्यूटी बनती है कि वह आवंटन की गई भूमियों पर आवंटियों के हक में राजस्व अभिलेख में विधि अनुसार आवश्यक रूप से बिना किसी देरी के वाजिव खातेदारी/ गैर खातेदारी आदि की प्रविष्टियों को दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही 28 वर्ष बाद पेश की है, कतई गलत है। उत्तरवादी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का यह तर्क है कि वह आवश्यक प्रकिया अपीलान्ट के हक में उसे बुलाकर करते। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत है मनमाना है निरस्तनीय है। तहत अदालत का यह मानना कि उक्त आवंटन धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में वर्जित है, भी कतई गलत है। क्योंकि उक्त भूमि कूऐ हेतु आवंटित की गई है। इसके अलावा नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही में आवंटन की वैद्यता की जांच नहीं की जानी है तथा रास्ते की भूमि अपीलान्ट को आवंटित विवादित भूमि स्कूल सीमा के बाहर है। इसके अलावा रास्ते हेतु कोई अवरोध नहीं है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

इसलिए अपीलधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण राजस्व अधिकारीगण द्वारा आवंटन आदेश की पालना में भरा गया है तथा आवंटन आदेश का कियान्वयन कहीं से रोका भी नहीं गया है। इसलिए विधिवत रूप से भरे गये नामान्तकरण को अस्वीकृत किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर दोनों अदालत मातहत के आदेश गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी, वह न्यायालय नायब तहसीलदार के विवादित आदेश दिनांक 07.12.2007 के विरूद्ध की गई थी जिसे सुने जाने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं रहा था। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसका आवंटन आज तक बहाल है जिसे अब निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलान्ट के हक में खातेदारी की प्रविष्ठयां करने से इन्कार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण अस्वीकृत करने के कोई आधार अपने आदेश में अंकित नहीं किये है इसलिए आदेश हर दो अधीनस्थ न्यायालय कतई गलत है, निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2010 के पारित होने के संबध में अपीलान्ट को उसके अधिवक्ता ने सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.10.2010 को नकल आदेश देकर दी है। नकल आदेश दिनांक 16.08.2010 से दिनांक 19.10.2010 तक अधिवक्ता के पास ही रही है। वैसे भी अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण शून्य प्रभाव लिये हुए है। अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दिये जाने के कारण देरी हुई है फिर भी धारा–5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 02.08.2010 एवं नायब तहसीलदार उच्चैन दिनांक 07.12.2007 निरस्त किये जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 1644 ग्राम पिचूना तहसील रूपवास अपीलान्ट के हक में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए राजकीय पैरोकार ने यह तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2010 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों पर अपील पेश की है क्योंकि विवादित आराजी स्कूल परिसर में है तथा विद्यालय के काम आ रही है। कूआ भूमि जो स्कूल को आवंटित की गई है, के प्रांगण में पहुंच मार्ग से नजदीक व स्कूल प्रांगण से नजदीक है। जो सार्वजनिक है इसके अलावा कानून में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में सार्वजनिक भूमि के आवंटन/नियमन के संबंध में प्रावधान दिये हुए हैं। इस आधार पर भी उक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में और न्यायालय हाजा में दोनों ही अदालतों में मियाद बाहर अपील पेश की है

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिसको कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया गया है। जबकि उपरोक्त हर दो तहत अदालतों के आदेशों की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में ही थी। अपीलान्ट के द्वारा पूर्व में जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसका निर्णय दिनांक 31.01.2006 को हो जाने पर परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर एवं मौका निरीक्षण किया जाकर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी वास्तव में गैर मुमकिन रास्ता है। जिस पर अपीलान्ट के हक में पूर्व में आवंटन सनद जारी की गई है वह बगैर मौका निरीक्षण व जांच के किया गया है। चूंकि विवादित रकबा विद्यालय प्रांगण में है जो कि सार्वजनिक है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आज्ञा विधि सम्मत है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील बे–बुनियाद तथ्यों पर पेश की गई है इसलिए खारिज की जावे। अपीलान्ट 1973 में आराजी का आवंटन हुआ कहता है जिसका नामान्तरकरण दिनांक 28.09.2001 में करीब 28 वर्ष बाद दर्ज हुआ है। कथित आवंटन भूमि गैर–मुमकिन रास्ता है जिसका आवंटन आर. टी. एक्ट की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। चूंकि आराजी राजकीय स्कूल होने के कारण सार्वजनिक उपयोग की एवं स्कूल की चारदीवारी में आ चुकी है मौके पर कूआ है जो सूखा है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। अतः अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण खोला जाना न्यायोचित नहीं है। नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा अपनी आज्ञा दिनांक 07.12.2007 पूर्ण विवेचनात्मक है और विधि सम्मत है। तहत अदालत द्वारा भी राज्यहित/सार्वजनिक भूमि होने के मध्यनजर बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है। ऐसी स्थिति यह अपील निराधार होने के कारण खारिज योग्य है। अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपील निराधार पाये जाने के कारण खारिज की जावे एवं अपीलाधीन हर दो तहत अदालतों के आदेश यथावत रखे जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के हक में विधिवत रूप से जारी पट्टे का अबतक निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विधिवत रूप से आवंटित भूमि का नामान्तकरण खुलवाने का अपीलान्ट को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा यह तथ्य गलत रूप से उल्लेखित किया गया है कि विवादित भूमि स्कूल की चारदीवारी में है, वरन् बस्तुस्थिति यह है कि उक्त भूमि विद्यालय की चारदीवारी से बाहर स्थित है जिसमें अपीलान्ट का कुआ बना हुआ है। तथा इस पर कब्जा भी अपीलान्ट का ही है। उक्त भूमि से रास्ते की भूमि का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.12.20007 व 02.08.2010 निरस्त किया जावे व अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1644 दिनांक 15.10.2001 को स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 02.08.2010 के विरूद्ध दिनांक 22.10.2010 को अपील प्रस्तुत की गई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। उक्त अपील के मियाद बाहर होने के कारण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज किया गयाय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यकश है। मियाद के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 16.08.2010 से 19.10.2010 तक अधिवक्ता के पास रहने के कारण समय पर अपील पेश नहीं की जा सकी। अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 19.10.2010 को अधिवक्ता से प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का न तो कोई प्रतिउत्तर ही रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत किया गया है। और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पहले रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। वैसे भी माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा मियाद के संबंध में कई निर्णयों में यह अभिमत दिया गया है कि मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखा जाना चाहिये तथा प्रकरण को किसी तकनीकी बिन्दु पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर वर्णित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन के पश्चात हम यह पाते है कि अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है क्योंकि नामान्तकरण संख्या 1644 दिनांक 15.10.2001 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 31.01.2006 के द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार उच्चैन को इन

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 157 के रकबा 0.01(1 बिस्वा) की मौके पर जांच कर अपीलान्ट के खातेदारी के रकबे की सिंचाई एवं सार्वजनिक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नियमानुसार तहसीलदार रूपवास की आज्ञा सनद दिनांक 30.01.73 के परिपेक्ष्य में पुनः उचित आज्ञा उभयपक्ष को सुनकर पारित करें। जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित उक्त आदेश की पालना में नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा आदेश दिनांक 07.12.2007 पारित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 157 वाके ग्राम पिचुना का पटवारी हल्का व ग्रामवासियों की मौजूदगी में मौका देखा गया तो मौके पर पाया गया कि विवादित 0.01 बिस्वा कूआं वर्तमान में सिंचाई के काम नहीं आ रहा है तथा सूखा पडा है व उक्त रकबा राजकीय प्राथमिक शाला नगलातोता की चारदीवारी में आ चुका है तथा स्कूल को इसी खसरा नंबर 157 में 1 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। तथा वर्तमान में स्कूल चल रहा है। निर्णय दिनांक 07.12.2007 में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर रूपवास द्वारा प्रकरण संख्या 122/2000 निर्णय दिनांक 18.06.2001 के अनुसार वादी श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जा चुका है। नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा दिनांक 15.10.2001 को नामान्तकरण इस आधार पर खारिज किया गया है कि कूआं खसरा नंबर 157 में स्थित 1 बीघा भूमि प्राथमिक विद्यालय के लिये आवंटितशुदा प्रांगण में है। वर्तमान में अपीलान्ट जिस 1 बिस्वा पर अपना हक बता रहा है वह राजकीय स्कूल को आवंटितशुदा भूमि की सीमा में आ चुका है। अतः राज्य हित में तत्कालीन नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2001 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हुए यथावत रखा जाने का आदेश पारित किया है। नायब तहसीलदार उच्चैन की ओर से पारित आदेश दिनांक 07.12.2007 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में पुनः अपील प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2010 को पारित किया है। जिसमें उभयपक्षकारान द्वारा बहस में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने अभिमत में यह उल्लेख किया है कि अदालत मातहत द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.01.2006 में दिये गये निर्देशों की पालना में मौका निरीक्षण किया जाकर विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की होना मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी का 1973 में आवंटन होना बताया गया है, जिसका नामान्तकरण 28 वर्ष बाद दर्ज हुआ है। कथित आवंटित भूमि की किस्म गैर–मुमकिन रास्ता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन एवं नियमन वर्जित है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण स्कूल की चारदीवारी में आ चुकी है। मौके पर कूआं है जो सूखा है, जिसपर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण खोले जाने को उचित नहीं मानकर अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 07.12.2007 को पूर्ण विवेचनात्मक बताते हुए विधि सम्मत मानते हुए अपील खारिज की है।

13-9-2022

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2007 जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.01.2006 की पालना में मौका देखने के बाद अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये जाने के बाद पारित किया गया है। जिसे विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2010 के द्वारा यथावत रखा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नही आती। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर